संख्या–240 /XVI(1)/11/7(2)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 **देहरादूनः दिनांक 08 मार्च,2011**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–555/1-1(102)/2010-11,दिनांक–18–02–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान विभाग से सम्बन्धित राज्य सैक्टर की विभिन्न चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु **₹–63,03,000.00 (₹ तिरसठ लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/ XXVII(1) /2010,दिनांक–30 मार्च,2010 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि व्यय करते समय प्रक्योरमेन्ट रूल्स,2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम),वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(5) निर्माण कार्यो के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी तथा निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहॉं व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(8) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

कमशः––––2

(9) योजनावार व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 **पर प्रत्येक माह की** 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(10) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(11) लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) आय–व्ययक में जिन योजनाओं के लिए 24–वृहत् निर्माण कार्य मद में बजट व्यवस्था प्राविधानित है, उन योजनाओं के अन्तर्गत योजना के दिशा–निर्देशानुसार वृहत् निर्माण कार्य कराये जाने के लिए शासन द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर औचित्यपूर्ण आगणन गठित कराते हुए स्वीकृति हेतु तात्कालिकता से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे,तथा शासन स्तर से स्वीकृत/अनुमोदित आगणनों की सीमा के अन्तर्गत ही इन योजनाओं के 24–वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जायेगी। शासन के पूर्वानुमोदन के बिना इस मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय न तो चालू निर्माण कार्यो और न ही नये निर्माण कार्यो के लिए किया जायेगा।

(13) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(14) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00– आयोजनागत–19–बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

(15) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–403(1)/XXVII(4)/10,दिनांक–01 मार्च,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–240 /XVI(1)/10/7(2)/10, तददिनांक:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कृषि निर्यात् विकास इकाई,देहरादून।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– राज्य योजना आयोग,देहरादून,उत्तराखण्ड।
9– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–240 /XVI(1)/10/7(2)/10, दिनांक– 08 मार्च,2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	योजना/मद का नाम	प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1–	**03–औद्यानिक विकास**		
	0301–अधिष्ठान		
	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	240	80
	15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	220	10
	29–अनुरक्षण	90	45
	42–अन्य व्यय	196	15
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	220	15
	योग:–अधिष्ठान	**966**	**165**
2–	**0303–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण**		
	02–मजदूरी	7000	3500
	10–जलकर/जल प्रभार	10	5
	15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	300	40
	18–प्रकाशन	21	11
	19–विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय	18	9
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	25
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	5000	700
	42–अन्य व्यय	700	70
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15	8
	योग:– राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण	**13114**	**4368**
3–	**12–उत्तरांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना**		
	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20	10
	योग–उत्तरांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना	**20**	**10**
4–	**13–मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना**		
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70	35
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	400	100
	24–वृहद निर्माण कार्य	250	125
	योग–मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना	**720**	**260**
5–	**14–पुराने उद्यानों की घेरबाड़**	7000	1500
	योग–पुराने उद्यानों की घेरबाड	**7000**	**1500**
	महायोग:–	**21820**	**6303**

(₹ तिरसठ लाख तीन हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

NEW Budget 2010-2011/charu.c.g